

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जावे न  
कि विद्यार्थी अन्य प्राप्तिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र  
व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं विनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे समिच्छा हो।



ग्राम : गूबीवर्टी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5185

दिनांक: 17/08/12

### // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्री रामनाथ सिंह शिक्षा महाविद्यालय, सियोली, ग्वालियर को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संचालित श्री.एड. पाठ्यक्रम कक्षा-पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसार्ण प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गित जिम्मानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. ए.के. शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (0751-2442868)

(2) डॉ. रेणु श्रीगांगार, प्राचार्य, बोटन कॉलेज, ग्वालियर।

(3) डॉ. रंजना शिक्षा, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

(संयोजक)

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के ग्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, गांधिजी शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडिकेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की वियुक्तियों का प्रमाण एवं येतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसार्ण अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्वर्त विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधार्थित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधिकृत विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

“समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देवी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। विसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण बहीं करता है तो समिति स्वतः विस्तृत हो जावेगी और पुनः विरीक्षण गठन हेतु महाविद्यालय को दड़ खल्लप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् दी विरीक्षण समिति का पुर्ववर्तन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कार्यकृत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को श्री.ए. / श्री.ए. / मानवदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण विनांक विधार्थित कर महाविद्यालय का विरीक्षण कराये। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्वर्त करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसंचिव (सम्बद्धता)